तुरन्त

क्रमांक 6372–2 जी0 एस0-70/21090

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष,
कमिश्नर अम्बाला मण्डल और
सभी डिप्टी कमिश्नर।

दिनांक 19-8-1970

विषय :–राज्य की भिन्न-भिन्न सेवाओं के भरती तथा सेवा शर्तों के नियम।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 2687–2 जी0 एस0–69/10169, दिनांक 17-5-69 की ओर दिलाऊं (प्रति संलग्न है), जिसमें आपसे यह अनुरोध किया गया था कि आप अपने विभाग की भिन्न-2 सेवाओं के सेवा नियम 6 मास के अन्दर तैयार करें। देखने में यह आया है कि कई सेवाओं के अभी तक सेवा नियम नहीं बनाए हैं। आप से अनुरोध है कि जिन सेवाओं के अभी तक सेवा नियम तैयार नहीं हुए हैं उनके सेवा नियम अतिशीघ्र तैयार किए जाएं। जिन सेवाओं के सेवा नियम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बने हैं, उनकी एक सूचि अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर भेजें।

भवदीय,

उप सचिव राजनैतिक तथा सेवाएं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

1. एफ0 सी0 आर0 हरियाणा।

2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

उप सचिव राजनैतिक तथा सेवाए,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।